AMOGHVARTA

ISSN : 2583-3189

भारत के संदर्भ में कोविड संकट और प्रवासनः मुद्दे एवं चुनौतियाँ

ORIGINAL ARTICLE

Author
बेबी तबस्सुम
राजनीति विज्ञान विभाग
दिल्ली विश्वविद्यालय
दिल्ली, भारत

शोध सार

समकालीन युग में मानव प्रवासन अध्ययन का एक महत्वपूर्ण क्षेत्र बन गया है। प्रवासन एक जटिल प्रक्रिया होने के साथ–साथ व्यापक सामाजिक–आर्थिक परिवर्तन का हिस्सा है। मानव प्रवास को मोटे तौर पर स्थायी या अर्ध–स्थायी रूप से एक भौगोलिक क्षेत्र से दूसरे भौगोलिक क्षेत्र में लोगों की आवाजाही के रूप में परिभाषित किया जाता है। आधुनिक संप्रभु राज्यों में प्रवासन को बेहतर जीवन, आजीविका और अवसरों की तलाश के लिए नागरिकों के मूल अधिकार के रूप में मान्यता दी जाती है। पिछले कुछ वर्षों में विभिन्न कारणों रोजगार के अवसर, श्रम की कमी, आंतरिक संघर्ष, प्राकृतिक आपदाओं और जलवायु परिवर्तन के परिणामस्वरुप प्रवासियों की संख्या में तेज़ी से वृद्धि हुई है किंतु भारत जैसे विशाल देश में प्रवासियों की अंतरराज्यीय गतिशीलता अत्याधिक दिखाई देती है। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में कोविड–19 महामारी अपने उच्च प्रसार और खतरनाक घातक दर के कारण वैश्विक चिंता का विषय बनी हुई है। इस समय भारत में जारी लॉकडाउन के दौरान श्रमिक वर्ग को रिवर्स माईग्रेशन की गंभीर समस्या से जूझना पड़ा है। कम वेतन व दैनिक मजदूरी पाने वाले अधिकतर श्रमिक असंगठित क्षेत्र में संलग्न हैं। वे इस संकट की स्थिति में सर्वप्रथम प्रभावित होने वाले व्यक्तियों की श्रेणी में आते है। वे प्रवासी श्रमिक जो गरीब, अकुशल या जिनके पास जीवन निर्वाह के पर्याप्त संसाधन नहीं है, उन पर इसका अत्यधिक बुरा प्रभाव पड़ा है। उपरोक्त चर्चा के परिदृश्य में इस लेख का मुख्य उद्देश्य इस बात को उजागर करना है कि क्या "रिवर्स माईग्रेशन" कोविड संकट की देन है? साथ ही आंतरिक प्रवासन को कारगर बनाने में बाध्यकारी कारक (Push Factors) कैसे इसमें संलग्न हैं? अगला भाग यह समझाएगा कि कोविड संकट के कारण पलायन कैसे विकसित हुआ? अंतिम प्रश्न इस मुद्दे के इर्द–गिर्द रहेगा कि उत्तर कोविड संकट के उपरांत रिवर्स माईग्रेशन संपन्न व पिछड़े दोनों तरह के राज्यों के लिए एक चुनौती अथवा अवसर साबित होने वाला है?

मुख्य शब्द

प्रवासन, कोविड संकट, लॉकडाउन, रिवर्स माईग्रेशन, आतंरिक प्रवासन.

भूमिका

मानव प्रवासन एक ऐतिहासिक तथा वैश्विक घटना है। प्रागैतिहासिक काल से प्रवासन मानव इतिहास का प्रमुख तत्त्व रहा है।[1] समकालीन युग में मानव प्रवासन एकेडेमिक रोचकता का विषय होने के साथ–साथ यह एक ज्वलंत मुद्दा भी है। भारत में प्रवासन कोई नवीन घटना नहीं है। काम की तलाश सहित विभिन्न कारणों से लोग प्रवासन करते हुए दिखाई देते है। इस विशाल आबादी के एक बड़े हिस्से में वे प्रवासी श्रमिक भी शामिल हैं जो बेहतर

आजीविका की इच्छा को लिए हुए ग्रामीण बस्तियों को छोड़ कर शहरों में आते हैं। हालांकि अपेक्षित शिक्षा, कौशल और प्रशिक्षण की कमी के कारण वे अक्सर कम वेतन, खराब जीवन यापन और सामाजिक सुरक्षा की कमी के साथ जीवन निर्वाह करने के लिए विवश हैं।[2] प्रवासी श्रमिक भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी हैं। राष्ट्र निर्माण, आर्थिक विकास, नवाचार, कौशल विकास और उद्यमिता में प्रवासियों का अहम योगदान रहा है। प्रवासी सस्ते श्रम प्रदान करने और कई जोखिमपूर्ण और असुरक्षित नौकरियां के लिए विकास और पूंजी संचय में मदद करते हैं जो मूल निवासी करना पसंद नहीं करते हैं।[3] दूसरी ओर, भारत में शहरी विकास और नियोजन की नीतियों और कार्यक्रमों ने शायद ही प्रवासियों के लिए कोई विशेष कार्यक्रम शुरू किया हो क्योंकि उन्हें शहरी समुदाय का हिस्सा नहीं माना जाता था। पहचान और आवासीय प्रमाणों की कमी के कारण गरीबों के लिए कई कार्यक्रम उन तक नहीं पहुंचते हैं प्रवासियों के आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक अधिकारों की पूर्ति करना आज भी एक गंभीर मुद्दा बना हुआ है। भले ही वे औपचारिक नागरिक हो किंतु उनके मूल नागरिक अधिकारों (Substantive Citizenship Rights) को पूरा नहीं किया जाता है।[4] प्रवासी समूह गरीब होने और प्रवासी होने के 'दोहरे बोझ' से पीड़ित हैं।[5] शहरी आवास और गरीबी उन्मूलन मंत्रालय द्वारा स्थापित "वर्किंग ग्रुप ऑन माईग्रेशन" ने देश में प्रवासी श्रमिकों की दुर्दशा की जाँच की और 2017 में केंद्र सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंपी।[6] हालांकि रिपोर्ट पर कार्रवाई अभी भी प्रतिक्षित है।

रिवर्स माईग्रेशन

रिवर्स माइग्रेशन कोई नवीन परिघटना नहीं है। यह अपने थोड़े–थोड़े अंश में पहले भी विद्यमान रहा है। 1970 और 1980 के दशक के दौरान यह चिंता थी कि भारत पश्चिम में अपने शिक्षित कर्मचारियों को खो रहा है जिसे "प्रतिभा पलायन" के रूप में जाना जाता है लेकिन अभी हाल ही में इस बात के प्रमाण मिले है कि "रिवर्स प्रतिभा पलायन" हो रहा है।[7] प्रशिक्षित पेशेवर विकास और रोजगार के अवसरों का लाभ उठाने के लिए अपने देश लौट रहे हैं।[8] इस दौर में बैंग्लौर और हैदराबाद भारत के अग्रणी तकनीकी शहरों के रूप में उभरे हैं। यह जो रिटर्न माईग्रेशन या रिवर्स माईग्रेशन हुआ है, उसमें प्रशिक्षित प्रवासी अपने साथ ज्ञान, विशेषज्ञता, पूंजी और वैश्विक नेटवर्क तक पहुंच भी साथ लेकर आए हैं।[9] जो देश के विकास और राष्ट्र–निर्माण प्रक्रिया में काफी मददगार रहा है। वर्तमान में कोविड संकट ने रिवर्स माईग्रेशन के उद्भव में अहम भूमिका अदा की है। लॉकडाउन के दौरान होने वाला पलायन सामान्य दिनों की अपेक्षा होने वाले पलायन से एकदम उलट है। आमतौर पर हमने रोज़गार पाने व बेहतर जीवन जीने की आशा में गाँवों और कस्बों से महानगरों की ओर पलायन होते देखा है, परंतु इस समय महानगरों से गाँवों की ओर हो रहा पलायन निःसंदेह चिंताजनक स्थिति को उत्पन्न कर रहा है। इस स्थिति को ही विद्वानों ने 'रिवर्स माईग्रेशन' की संज्ञा दी है। सामान्य शब्दों में रिवर्स माईग्रेशन से तात्पर्य "महानगरों और शहरों से गाँव एवं कस्बों की ओर होने वाले पलायन' से है। लॉकडाउन के दौरान होने वाले पलायन अपने साथ बहुत सारी चुनौतियों को लेकर आया है। इन प्रवासी श्रमिकों के सामने आने वाली तात्कालिक चुनौतियां भोजन, आश्रय, स्वास्थ्य सेवा, संक्रमित होने या संक्रमण फैलने का डर और मानसिक स्वास्थ्य से संबंधित थी। कोरोना संकट काल में अपनी आजीविका छिन जाने, रहने की व्यवस्था न होने, संक्रमित होने के भय के कारण अपने मूल स्थानों की ओर पलायन करने पर विवश होना पड़ा है।

भारत में प्रवास के क्षेत्र किए गए अध्ययन में पाया गया कि गरीबी, नौकरी की तलाश प्रवास के लिए मुख्य बाध्यकारी कारक (Push Factor) रहे हैं[10] जबकि रोजगार की बेहतर सुविधाओं की उपलब्धता को प्रवासन के पीछे प्रमुख आकर्षण कारकों (Pull Factor) के रूप में पहचाना गया है।[11] आमतौर पर प्रवासन आकर्षण कारक से प्रेरित होता है किंतु देशव्यापी लॉकडाउन के दौरान बाध्यकारी कारकों ने श्रमिकों के पलायन में अहम भूमिका अदा की है। कोरोना संकट ने भारत में आंतरिक प्रवासियों और लैटिन अमेरिका के कई देशों में बड़े पैमाने पर वापसी की एक अराजक स्थिति को जन्म दिया है। नौकरियों और आजीविका के नुकसान ने कई देशों में ग्रामीण परिवारों की जीवन रेखा तोड़ दी है। लॉकडाउन, यात्रा प्रतिबंध और सामाजिक दूरी बना कर रखने के उपायों ने आंतरिक प्रवासी श्रमिकों को प्रतिकूल रूप से प्रभावित किया है। आवास, पानी, स्वच्छता, सामाजिक सुरक्षा और स्वास्थ्य जैसी बुनियादी सुविधाओं तक पहुंच के बिना निर्वाह करना कठिन हो गया था।[12] संसाधनों की गंभीर कमी, महामारी का

डर और आजीविका विहीन होना जैसे कारकों ने इन श्रमिक प्रवासियों को अपने मूल स्थानों पर लौटने के लिए मजबूर कर दिया है। अतः यह प्रवासी संक्रामक जोखिमों के दौरान और भी कमजोर श्रेणी में आ गए हैं।[13]

कोविड संकट और पलायन

काम और रोजगार के लिए अधिकांश प्रवासी शहरी केंद्रों की ओर अग्रसर रहते हैं। लगभग आधी शहरी आबादी प्रवासी हैं और उनमें से पाँचवा हिस्सा अंतरराज्यीय प्रवासी है। भारत में 484 मिलियन श्रमिकों में से 194 करोड़ स्थायी और अर्ध–स्थायी प्रवासी श्रमिक हैं। इसके आलावा लगभग 15 मिलियन अस्थायी और सर्कुलर प्रकृति के अल्पकालिक प्रवासी श्रमिक हैं।[14] पूरे भारत में 55 मिलियन प्रवासी श्रमिक दैनिक मजदूरी पर जीवन निर्वाह करते है।[15] कोविड–19 ने अखिल भारतीय लॉकडाउन के बाद श्रमिक प्रवासियों को सबसे अधिक प्रभावित किया है। पूरे देश में 24 मार्च 2020 को 21 दिन की अवधि के लिए लॉकडाउन की घोषणा की गई। सभी राज्यों की सीमाओं को सील कर दिया गया केवल आवश्यक सेवाओं को छोड़कर सभी प्रकार की आर्थिक गतिविधियों को बंद कर दिया गया।[16] यह उन सैकड़ों हजारों प्रवासी श्रमिकों के लिए दुःस्वप्न साबित हुआ जो रातों–रात अपनी आजीविका खो बैठे और बेघर हो गए। परिणामस्वरुप उनमें से हज़ारों लोग विभिन्न शहरो से अपने मूल निवास स्थानों की ओर लौटने लगे। कई लोगों को कोई सार्वजनिक परिवहन न मिलने के कारण अपने गाँवों तक पहुंचने के लिए सैकड़ों मील पैदल चलने के लिए मजबूर होना पड़ा। जन साहस (2020) द्वारा उत्तर मध्य भारत के 3000 से अधिक प्रवासियों के टेलीफोनिक सर्वेक्षण से पता चलता है कि अधिकांश श्रमिक दैनिक वेतन भोगी थे और लॉकडाउन के समय 42 प्रतिशत श्रमिकों के पास राशन नहीं बचा था, एक–तिहाई श्रमिकों के गन्तव्य स्थानों पर भोजन, पानी और धन प्रवाह की पहुँच रुक गई, 94 प्रतिशत श्रमिकों के पहचान पत्र नहीं हैं।[17] राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत करवाए गए सर्वे की रिपोर्ट बताती है कि दिल्ली के 1.93 करोड़ की आबादी में से 71.3 लाख लोगों को राशन कार्ड जारी किए गए हैं।[18] हालाँकि स्थिति की गंभीरता को देखते हुए कई राज्यों दिल्ली, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, बिहार और कर्नाटक ने इन श्रमिकों और उनके परिवारों को या तो राज्य की सीमाओं या उनके जिलों तक छोड़ने के लिए विशेष बसों की व्यवस्था की है।[19] इस व्यापक प्रवास के कारण राष्ट्रीय राजमार्ग, बस स्टॉप और रेलवे स्टेशनों पर अराजक स्थिति पैदा हो गई जिससे राज्यों के बीच गलतफहमियां बढ़ गई। चूँकि यह लॉकडाउन और सामाजिक दूरी का उल्लंघन था।[20] यह वहाँ मौजूद सभी लोगों के लिए जोखिम भरा था। भारत सरकार ने सभी अंतरर्राज्यीय और जिला सीमाओं को सील करने के सख्त आदेश दिए। इसके साथ ही जिला अधिकारियों को आदेश दिए गए कि वे मूलभूत सुविधाओं और बुनियादी आवश्यताओं के साथ अस्थायी आश्रयों (विशेषकर राजमार्ग के पास) की पर्याप्त व्यवस्था सुनिश्चित करें ताकि लॉकडाउन के कारण फंसे हुए प्रवासियों मजदूरों सहित गरीब और जरूरतमंद लोगों के लिए भोजन, कपड़े, और स्वास्थ्य व्यवस्था का प्रावधान किया जा सके।[21] मूल स्थानों की ओर प्रवास के कारण उत्तर प्रदेश और बिहार में आने वाले मामलों में अधिक वृद्धि हो सकती है जबकि व्यावसायिक स्थलों पर प्रवास कर्नाटक, महाराष्ट्र और हरियाणा में आने वाले मामलों में वृद्धि कर सकता है।[22]

मुद्दे एवं चुनौतियाँ

कोविड–19 जिसने संपूर्ण दुनिया को अपनी चपेट में ले लिया है। इसने वर्तमान में लगभग सभी विकसित और विकासशील देशों को प्रभावित किया है। भारत इस समय महामारी के चरण–2 में है और इसे चरण–3 या उच्चतर में प्रवेश करने से रोकने के लिए सख्त प्रबंधन की आवश्यकता है।[23] इसके आकार और प्रसार को देखते हुए, लॉकडाउन के तहत प्रवासियों के प्रबंधन ने विशाल चुनौतियों का रूप धारण कर लिया है। इन चुनौतियों में कुछ तात्कालिक हैं जिनसे तुरंत निपटने की आवश्यकता है और कुछ दीर्घकालिक हैं।

1. **तात्कालिक चुनौतियाँ[24] फंसे हुए प्रवासियों से संबंधित हैः**

a. इतिहास की सबसे बड़ी मानवीय त्रासदी में सरकार के समक्ष प्रमुख चुनौती प्रवासियों तक भोजन, आश्रय और बुनियादी आवश्यकताओं की आपूर्ति से संबंधित हैं।

b. प्रवासियों को बुनियादी स्वास्थय देखभाल और निवारक किट (मास्क, सैनीटाइजर और दस्ताने) कैसे प्रदान की जाये?

c. इतिहास की सबसे बड़ी मानवीय त्रासदी में सरकार के समक्ष प्रमुख चुनौती पीड़ितों तक भोजन, आश्रय और बुनियादी आवश्यकताओं की आपूर्ति से संबंधित हैं।

d. उन सभी को बेहतर स्वच्छता (साबुन, पानी, शौचालय, अपशिष्ट प्रबंधन) बनाये रखकर शिविरों/आश्रयों में भोजन और बुनियादी सुविधाएं कैसे प्रदान करें?

e. इन स्थितियों को त्वरित रूप से कैसे समझा जाए जिससे कि संक्रमित व्यक्ति की स्क्रीनिंग करके उन्हें कॉरंटाइन में भेजा जा सके?

f. संक्रमण के प्रसार की जाँच करने के लिए प्रवासियों के बीच सामाजिक दूरी को कैसे बनाएं रखें?

g. इस संकट में प्रवासियों को परामर्श और मनोवैज्ञानिक सहायता कैसे प्रदान की जाए?

h. प्रवासियों को सुरक्षित रूप से उनके मूल स्थानों पर स्थानांतरित करने की चुनौती? लॉकडाउन के पहले चरण की समाप्ति के बाद मुंबई, सूरत और दिल्ली में सामाजिक दूरी के नियमों का उल्लंघन करना, गांवों में अपने परिवारों को वापस जाने की उनकी हताशा को दर्शाता है।

दीर्घकालिक चुनौतियां

- गंतव्य स्थानों पर फंसे प्रवासियों, राजमार्ग शिविरों और गांवों में वापस लौटने वाले प्रवासियों के बारे में प्रामाणिक तथ्य कैसे एकत्र किए जाए? ताकि वर्तमान और भविष्य के प्रबंधन की जरूरतों के लिए सामाजिक कल्याण योजनाओं के लाभों को उन तक पहुँचाया जा सकें।
- जो प्रवासी श्रमिक दैनिक मजदूरी पर जीवन निर्वाह करते है और जो सामाजिक योजनाओं में पंजीकृत नहीं हैं लॉकडाउन के दौरान और लॉकडाउन के बाद उनको बुनियादी आय सहायता कैसे प्रदान की जाए?
- इस संकट में यह सवाल उठता है कि क्या रिवर्स प्रवासी शहरों में काम करने के लिए वापस आएंगे या अपने मूल स्थानों में रहेंगे? यदि वे वापस नहीं आते हैं तो गंतव्य क्षेत्रों में संभावित आर्थिक तनाव से कैसे निपटें। राज्य सरकारों के सामने यह चुनौती बनी हुई है कि उनके मूल गाँवों में जहाँ संसाधनों की कमी है और अवसर सीमित है, वहाँ लोगों की मूलभूत आवश्यकताओं को कैसे पूरा करना चाहिए? वर्तमान में पंजाब, हरियाणा और अन्य राज्यों में प्रवासियों के बिना गेंहूँ की कटाई की कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है।[25]

सरकार की भूमिका

कोविड–19 के प्रसार और इसके आगे के प्रकोप को नियंत्रित करने के लिए राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन ने लाखों लोगों के जीवन में उथल–पुथल ला दिया जो मुख्य रूप से अनौपचारिक क्षेत्र में शामिल हैं। हालाँकि इस समय कोई बेहतर सार्वजानिक नीति नहीं बन पाई, लेकिन राहत पैकेज के जरिए सरकार ने इन श्रमिकों के कल्याण के लिए काम किया है। भारत सरकार ने कमजोर व असुरक्षित समूहों पर लॉकडाउन के प्रभाव को कम करने के लिए 26 मार्च 2020 को गरीब कल्याण योजना के तहत 1.70 लाख करोड़ रूपये के पैकेज की घोषणा की।[26] इसके दायरे में स्वास्थ्य कार्यकर्त्ता, कृषक, मनरेगा श्रमिक, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग विशेषकर महिलाएं, बुजुर्ग और असंगठित क्षेत्र के श्रमिक, जनधन खाताधारक और उज्ज्वला लाभार्थी शामिल हैं।[27] वहीं अभी हाल ही में प्रवासी श्रमिकों के लिए ग्रीब कल्याण रोजगार अभियानश प्रारंभ किया गया है।[28] इसके अतिरिक्त केंद्र सरकार ने राज्य सरकारों को भवन निर्माण और कामगरों के कल्याण के लिए सीधे लाभ हस्तांतरण के माध्यम से निर्माण श्रमिकों को राहत देने के लिए 52,000 करोड़ रूपये के राहत पैकेज का उपयोग करने का आदेश दिया है। राज्यों को 'राज्य आपदा राहत कोष' के धन का उपयोग करने की अनुमति दी गई थी ताकि बेघर प्रवासी श्रमिकों सहित जो लोग लॉकडाउन के कारण फंसे हुए थे और जो राहत शिविरों और अन्य स्थानों पर शरण लिए हुए थे, उन तक भोजन, आवास और चिकित्सा देखभाल मुहैया करवाई जा सके।[29] 31 मार्च 2020 तक 6.6 लाख प्रवासी श्रमिकों को भोजन, आश्रय और बुनियादी आवश्यकताओं के प्रावधान के साथ 21,604 राहत शिविरों में समायोजित किया गया था।[30] गृह मंत्रालय ने इस संकट के दौर में मकान मालिकों से किराया नहीं लेने को कहा और नियोक्ताओं को अपने श्रमिकों के वेतन

का भुगतान कटौती के बिना करने के लिए कहा।[31] इसके साथ ही गृह मंत्रालय ने किसी भी आवश्यक वस्तु तक पहुँच सुनिश्चित करने के लिए 24 घंटे 7 दिन निगरानी के लिए एक 'नियंत्रण कक्ष' स्थापित किया।[32] हाल की एक रिपोर्ट में सरकार ने प्रशिक्षित परामर्शदाताओं और सामुदायिक समूह के नेताओं को किसी भी अड़चन से निपटने के लिए राहत शिविरों और आश्रय गृहों में भेजने का प्रस्ताव दिया है, जो कि सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश पर हो सकता है।[33]

हालाँकि रणनीतियों को लागू करने के लिए उचित दिशा–निर्देशों की कमी ने राज्य सरकारों के सामने कई चुनौतियां पेश की किंतु केंद्र सरकार द्वारा दिए गए आदेशों के अनुरूप अधिकांश राज्यों ने अपनी रणनीतियों को तैयार किया। दिल्ली, बिहार, उड़ीसा, केरल और महाराष्ट्र आदि राज्यों ने सभी प्रवासी श्रमिकों को अस्थायी आश्रय प्रदान किया वहीं उत्तर प्रदेश, दिल्ली, उड़ीसा, केरल, तेलांगाना और कर्नाटक जैसे कई राज्य प्रवासी श्रमिकों, बेघर और गरीब लोगों को खाद्यान किट के वितरण के साथ मुफ्त भोजन और राशन बैग प्रदान करते दिखाई दिए।[34] नगर निगमों ने भी प्रवासियों और असहाय लोगों की सहायता के लिए सामुदायिक रसोई, प्रवासियों की स्वास्थ्य देखभाल, उन्हें जागरूकता प्रदान करने और जरूरतमंदो की सहायता के लिए धन इकठ्ठा करने की पहल की। उदाहरण के लिए, केरल में कुछ प्रवासियों को स्थानीय भाषा समझने में समस्याएं हैं इससे निपटने के लिए पुलिस अधिकारियों ने होमगार्ड की व्यवस्था की। उन्हें बीमारी और इसकी रोकथाम के बारे में प्रवासियों के बीच जागरूकता प्रदान करने की जिम्मेदारी दी गई थी और यह सुनिश्चित किया गया कि वे प्रवासियों को हर संभव सहायता प्रदान करेंगे केरल में भोजन और आवास के आलावा कुछ आश्रयों/शिविरों में मनोरंजन की सुविधा भी प्रदान की गई है।

राहत कार्यों में सामाजिक संगठनों की भूमिका

सरकारी एजेंसियों के साथ–साथ सामाजिक संगठन भी कार्रवाई करने के लिए आगे आये हैं। राज्यों के इस प्रयास में उनका समर्थन करने के लिए गैर–सरकारी संगठनों, कोरोना योद्धाओं और स्वयंसेवकों ने भी भागीदारी शुरू की है। गैर–सरकारी संगठनों ने जरूरतमंद लोगों की मदद के लिए क्राउडफंडिंग प्रयास के तहत भोजन और स्वच्छता किट प्रदान किये हैं। इनके द्वारा नई पहल भी की जा रही है। उदहारण के लिए केरल में COVID–19 के प्रवासियों की जाँच और विशिष्ट समूह को अन्य चिकित्सा सेवाएं प्रदान करने के लिए केरल की सरकार की सहायता से 'प्रवासी और समावेशी विकास केंद्र' द्वारा 'बंधु' नामक एक मोबाईल परीक्षण इकाई शुरू गई है।[35] इसके अतिरिक्त कई बड़े रेस्टोरेंट और आईटी कंपनियां भी भोजन आपूर्ति के लक्ष्य को पूरा करने के लिए सामने आयी हैं। उदाहरण के लिए, गुरुग्राम में कई फाइव स्टार रेस्टोरेंट रोजाना 75,000 से अधिक लोगों को भोजन परोस रहे हैं और WIPRO प्रति दिन 40,000 भोजन पैकेट दान कर रहा है।[36] राज्य संगठनों ने पुलिस की मदद से भू–ट्रैकिंग प्रणाली शुरू करने का प्रस्ताव दिया है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि केवल प्रवासियों को भोजन की सुविधा तथा भोजन तक पहुँच प्राप्त हो।

कोविड–19 के उपरांत राज्य के लिए अवसर

- गांव को खुशहाल बनाने एवं ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने का अवसर।
- स्वास्थय संबंधी बुनियादी ढाँचे में मात्रात्मक और गुणात्मक सुधार।
- प्रवासियों को एक जिला–एक उत्पाद कार्यक्रम में शामिल करने का अवसर।
- आवाज़हीन व हाशिए पर पड़े व्यक्तियों के लिए जमीनी स्तर की नीति बनाने का अवसर।
- मौजूदा कानून श्रमिकों की दशा सुधारने के लिए पर्याप्त नहीं है। अतः इस संकट ने श्रम कानून सुधारों पर जोर दिया।

भविष्य के लिए रणनीतियाँ

प्रवासी श्रमिकों और उनके परिवारों के भोजन और पोषण संबंधी जरूरतों को पूरा करने के लिए साप्ताहिक आधार पर खाद्य अनाज और दालों की आपूर्ति की जानी चाहिए। सरकार को सार्वजनिक वितरण प्रणाली के बुनियादी ढाँचे का उपयोग करना चाहिए और भारतीय खाद्य निगम के बफर स्टॉक के रूप पड़े हुए अनाज को वितरित करना चाहिए।[37] इस संकट काल में दैनिक जरूरतों की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए स्थानीय निकायों

को भी जुटाना चाहिए। प्रवासियों को लंबे समय तक विकास में हितधारकों के रूप में उपेक्षित नहीं किया जा सकता है। विकास के साथ प्रवासियों का एकीकरण समय की आवश्यकता है। सरकार को गंभीरता से यूनेस्को–यूनिसेफ की सिफारिशों पर गौर करना चाहिए साथ ही "वर्किंग ग्रुप ऑन माईग्रेशन" की सिफारिशों को जल्द से जल्द लागू करना चाहिए। सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली विशेष रूप से प्राथमिक और माध्यमिक देखभाल को मजबूत करने की आवश्यकता है, इसको कारगर बनाने लिए निवेश में वृद्धि की जानी चाहिए। दवा और उपकरणों को बड़े पैमाने पर उपलब्ध कराने की आवश्यकता है। स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने की एक बुनियादी रणनीति के रूप में हमें विकेन्द्रीयकरण को स्वीकार करने की आवश्यकता है।[38] प्रवासियों के लिए स्वास्थ्य बीमा योजना की शुरुआत राज्य सरकार के साथ–साथ विशेष रूप से महामारी के दौरान गंतव्यों पर प्रवासियों के लिए सहायक हो सकती है। उदहारण के लिए, केरल में 'आवाज़ हेल्थ इंस्युरेन्स स्कीम' नाम से स्वास्थ्य बीमा योजना शुरू की गई।[39] इससे सरकार को प्रवासियों का रिकॉर्ड रखने में मदद मिलती है और प्रवासियों को स्वास्थ्य बीमा का लाभ मिलता है।

प्रवासियों के मूल और गंतव्य स्थानों पर परिवहन सुविधा प्रदान करने के लिए राज्य सरकार, केंद्र सरकार के साथ समन्वय कर सकती हैं और रणनीति बना सकती है। यह समय केंद्र और राज्य सरकार के बीच तालमेल और समन्वय स्थापित करने का है।[40] यह इन आवाजहीन हाशिए के लोगों की मदद करने का समय है ताकि वे इस नुकसान से उभरे और धीरे–धीरे अर्थव्यवस्था के सामान्य होने के बाद उनका पुनर्वास हो सके। केंद्र सरकार ने "मेगा प्लान" के तहत कोरोना लॉकडाउन के दौरान अपने राज्यों और गांवों को लौटे करोड़ो प्रवासी मजदूरों के पुनर्वास, रोजगार, आजीविका, कौशल विकास और गरीब कल्याण सुविधाओं का लाभ सुनिश्चित कराने की योजना का खाका तैयार किया है।[41] कोविड–19 से लड़ने के लिए हमें ग्राम पंचायत, स्वयं सहायता समूह, कॉरपोरेट्स और समाज के हितधारकों को सम्मिलित करने की आवश्यकता है। इसके अलावा सह–ग्रामीणों द्वारा कलंक से बचने के लिए गैर–सरकारी संगठनों, स्वयं सहायता समूहों, स्वास्थ्य कार्यकर्त्ताओं और स्थानीय निकायों के अधिकारियों की मदद से ग्रामीणों को जागरूकता प्रदान की जा सकती है।

निष्कर्ष

महामारी को रोकने का भरसक प्रयास भारत के इतिहास की सबसे बड़ी मानवीय त्रासदी में से एक में बदल गया है। बहरहाल सरकार और गैर–सरकारी संगठनों द्वारा प्रदान की गई सहायता से प्रवासियों को थोड़ी बहुत राहत अवश्य मिल सकती है किंतु इस विशाल प्रवासी आबादी को देखते हुए प्रदान की गई सेवाएँ अपर्याप्त साबित हुई हैं। इस समय कोई निश्चित अनुमान उपलब्ध नहीं है लेकिन करीब 10 मिलियन से कम प्रवासियों के फंसे होने की संभावना बताई जा रही है। 26 मार्च 2020 को घोषित की गई "प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना" के तहत गांव व उनके मूल स्थान पर उनके परिवारों को विभिन्न उपायों के माध्यम से सहायता प्रदान की जा रही है, किंतु फंसे हुए प्रवासी श्रमिकों को शिविरों में भोजन के अलावा शायद ही कुछ मिल रहा हो। यह सुझाव दिया गया है कि शहरों में प्रत्येक फंसे हुए प्रवासी श्रमिक को कम से कम तीन महीने तक राज्य सरकार द्वारा वित्तीय सहायता के अलावा केंद्र सरकार द्वारा 6000 रु. {(मनरेगा योजना की न्यूनतम दर) रु. 202 प्रतिदिन 30 दिन} दिए जाने चाहिए।[42] इसके अतिरिक्त गंतव्य आश्रयों और शहरों में अन्य स्थानों पर नकद में मौद्रिक सहायता देना उचित होगा क्योंकि सर्वेक्षण में यह पाया कि 17 प्रतिशत मजदूरों का बैंक खाता ही नहीं है।[43] ग्रामीण क्षेत्रों में बुनियादी सुविधाएं जैसे सड़क, बिजली, स्वच्छ पेयजल, स्वास्थ्य सुविधाएं, व्यवसाय और सेवा क्षेत्रों में रोजगार के अवसर सरकार द्वारा विकसित किए जाने चाहिए ताकि ग्रामीण–शहरी पलायन को कम किया जा सके।[44] ग्रामीण आबादी का एक बड़ा हिस्सा गैर–कृषि व्यवसायों के माध्यम से सभ्य जीवन जीने में सक्षम होना चाहिए।

संदर्भ सूची

1. Bhagat, Ram B., (2017) "Migration and Urban Transition in India : Implications for Develpoment", United Nations Expert Group Meeting on Sustainable Cities, *Human Mobility and International Migration*, (September 5, 2017) : 2, Accessed June 3, 2020, https://www.un.org/en/development/desa/population/events/pdf/expert/27/papers/V/pa.

2. Unlocking the Urban : Reimagining Migrant Lives in Cities Post-COVID 19. Rajasthan : Aajeevika Bureau, 2020. Accessed June 5, 2020 https://www.aajeevika.org/assets/pdfs/Unlocking%20the%20Urban.pdf.

3. Bhagat, Ram B., (2014) "Report on world migration 2015 : Urban Migration Trends, Challenges and Opportunities in India", International Institute for Population Science, Mumbai, : 21, Accessed – June 3, 2020, https://www.iom.int/sites/default/files/our_work/ICP/MPR/WMR-2015-bACKGROUND-Paper.

4. Bhagat, R.B., Reshmi R.S., Harihar Sahoo, Archana K. Roy, Dipti Govil, (2020) "*The COVID-19, Migration and Livelihood in India*", International Institute for Population Science, Mumbai, p. 3-4, Accessed: June 3, 2020 https://iipsindia.ac.in/sites/default/files/iips_covid19_mlli.pdf.

5. Bhagat, R.B., Reshmi R.S., Harihar Sahoo, Archana K. Roy, Dipti Govil, (2020) "*The COVID-19, Migration and Livelihood in India*", International Institute for Population Science, Mumbai, p. 3-4, Accessed: June 3, 2020 https://iipsindia.ac.in/sites/default/files/iips_covid19_mlli.pdf. 3.

6. Government of India(a), (2017) *"Report of the Working Group on Migration"*, Ministry of Housing and Urban Poverty Alleviation, New Delhi, Accessed: June 9, 2020 http://mohua.gov.in/upload/uploadfiles/files/1566.pdf.

7. Chacko, Elizabeth (2007) "From brain drain to brain gain : reverse migration to Banglore and Hyderabad, India's globalizing high tech cities", Springer 68, no.2/3, p.131-132, Accessed June 2, 2020, https://www.jstor.org/stable/41148150.

8. Gmelch, George, (1980) "Return Migration", Annual Review of Anthropology 9, 137, Accessed June 2, 2020, https://www.jstor.org/stable/2155732.

9. Chacko, Elizabeth, (2007) "From brain drain to brain gain : reverse migration to Banglore and Hyderabad, India's globalizing high tech cities", Springer 68, no.2/3, p. 131-132, Accessed June 2, 2020, https://www.jstor.org/stable/41148150.

10. Kumar, Vikramendra, (2017) "Aspect of Human Migration in 21st- Century India", *Madridge journal of Behavioural and Social Sciences,* 1(1), p. 23-24, https://doi:10.18689/mjbss-1000104.

11. Kumar, Naresh; and A.S. Sidhu (2005) "Pull and Push factors in Labour Migration : A Study of Brick-kiln Workers in Punjab", Indian Journal of Industrial Relations 41, no.2, 225, Accessed May 31, 2020, https://www.jsor.org/stable/27768009.

12. World Bank Group, (2020) "COVID-19 Crisis : Through a Migration Lens", KNOMAD, Migration and Development Brief 32, 5, Accessed June 2, 2020, https://www.knomad.org/sites/default/files/2020-05/Migration%20%26%20Development.

13. Singh, S.K.; and Aditi, (2020) "Socio-economic vulnerabilities to COVID-19 in India : Swimming against the Tide", International Institute for Population Science, Mumbai, 11, https://www.researchgate.net/publication/341099767_socio-economic_vulnerabilities, Accessed on 22/07/2020.

14. Keshri, Kunal; and Bhagat, R.B. (2012) "Temporary and Seasonal Migration : Regional Pattern, Characteristics and Associated Factors, *Economic and Political Weekly* 47, no.4, 81 https://www.jstor.org/stable/41419769, Accessed on 10/10/2020.

15. Sahas, Jan (2020) "*Voices of the Invisible Citizens : A Rapid Assessment on the Impact of COVID-19 Lockdown on Internal Migrant Workers"*, (April 2020): 1-2, Accessed June 5, 2020. https://azimpremjiuniversity.edu.in/SitePages/pdf/Voices_of_the_invisible_citizens_jan.

16. Government of India(b), Order no.40-3/2020-DM-I (A), Ministry of Home Affairs, New Delhi, March 24, 2020, Accessed- June 12, 2020, https://www.du.ac.in/du/uploads/PR Consolidated%20Guideline%20of%20MHA_28032020%20(1)_1.PDF.

17. Sahas, Jan (2020) "*Voices of the Invisible Citizens : A Rapid Assessment on the Impact of COVID-19 Lockdown on Internal Migrant Workers*", (April 2020): 1-2, Accessed June 5, 2020. https://azimpremjiuniversity.edu.in/SitePages/pdf/Voices_of_the_invisible_citizens_jan.

18. Bhatnagar, Gaurav Vivek (2020) "Delhi : Survey Reveals Only 30% Ration Shops Distributing PDS Grains, Special Kits". The Wire. May 2, 2020. Accessed June 13, 2020. https://thewire.in/rights/delhi-survey-pds-ration-shops.

19. Bohra, Sanjay (2020) "Jaipur mirrors Delhi scenes as '30,000-40,000' migrants crowd bus stands to get back home". The Print (Delhi), March 29, 2020. Accessed June 12, 2020. http://theprint.in/india/jaipur-mirrors-delhi-scenes-as-30000-40000-migrantscrowd-bus-stands-to-get-back-home/390935, Press Trust of India(a). "Covid-19 : UP Government arranges 1,000 Buses to Ferry Standed Migrant Labourers". Business Standard. (New Delhi), March 28, 2020. Accessed June 12, 2020. https://www.business-standard.com/article/current-affairs/Covid-19-up-govtarranges-1-000-buses-to-ferry-stranded-migrant-labourers-120032800468_1.html.

20. Government of India(c). "Order no.40-3/2020-DM-I(A)". Ministry of home affairs. (New Delhi), March 29, 2020. Accessed June 12, 2020. https://labourcommissioner.assam.gov.in/sites/default/files/suf_utility_folder/departments/coi_labour_uneecopscloud_com_oid_14/latest/mha_order_restricting_movement_of_migrants_and_strict_enforement_of_lockdown_measures_29.03.2020.pdf.pdf.pdf.

21. Press Trust of India (b). "Coronavirus : MHA changes rules, State Disaster Relief Fund to be used to give food, shelter for migrant workers". (New Delhi), March 28, 2020. Accessed June 12, 2020. https://www.deccanherald.com/national/coronavirus-mha-changesrules-state-disaster-relief-fund-to-be-used-to-give-food-shelter-for-migrant-workers 818579.html.

22. Kumar, Ankush, "Modeling Geographical Spread of COVID-19 in India using Network-based Approach", MedRxiv, (2020) : 5, Accessed May 31, 2020, https://doi.org/10.110/2020.04.23.20076489.

23. Ibid.

24. Bhagat, R.B.; Reshmi R.S.; Sahoo, Harihar; Roy, Archana K.; Govil, Dipti (2020) *"The COVID-19, Migration and Livelihood in India"*, International Institute for Population Science, Mumbai, 16, Accessed June 3, 2020, https://iipsindia.ac.in/sites/default/files/iips_covid19_mlli.pdf,

25. A Policy Brief (2020) "The COVID-19, Migration and Livelihood in India : Challenges and Strategies", 4, Aceesed June 5, 2020, https://iipsindia.ac.in/sites/default/files/iips_covid19_mlli_PB.Pdf

26. DHNS (2020) "A poorly thought-out package for the poor".Deccan Herald. March 27, 2020. Accessed June 10, 2020. https://www.deccanherald.com/Opinion/first-edit/a-poorly-thought-outpackage-for-the-poor-818067.html.

27. "Finance minister announces Rs.1.70 Lakh Crore relief package under Pradhan Mantri Garib Kalyan Yojna for the poor to help them fight the battle against Corona Virus". Ministry of Finance. March 26, 2020. Accessed June 16, 2020. https://pib.gov.in.

28. "Coronavirus lockdown Narendra Modi launches 'Garib Kalyan Rojgar Abhiyan' for migrant workers". The Hindu. June 20, 2020. Accessed June 25, 2020. https://www.thehindu.com >news.

29. Press Trust of India(b). "Coronavirus : MHA changes rules, State Disaster Relief Fund to be used to give food, shelter for migrant workers". (New Delhi), March 28, 2020. Accessed June 12, 2020. https://www.deccanherald.com/national/coronavirus-mha-changesrules-state-disaster-relief-fund-to-be-used-to-give-food-shelter-for-migrant-workers 818579.html.

30. Kulkarni, Sharma (2020) "6.6 lakh migrant workers in more than 21,000 camps : centre sagar. Deccan Herald. March 31, 2020, Accessed June 10, 2020. https://www.deccanherald.com/national/66lakh-migrant-workers-in-more-than21000-camps-centre-819809.html.

31. Government of India (2020) "Order no.40-3/2020-DM-I(A)". Ministry of home affairs. (New Delhi), March 29, 2020. Accessed June 12, 2020. https://labourcommissioner.assam.gov.in/sites/default/files/suf_utility_folder/departments/coi_labour_uneecopscloud_com_oid_14/latest/mha_order_restricting_movement_of_migrants_and_strict_enforement_of_lockdown_measures_29.03.2020.pdf.pdf.pdf.

32. Press Trust of India(c). "Coronavirus : Centre asks states to arrange food, shelter for migrant workers". Deccan Herald. March 26, 2020. Accessed June 6, 2020. https://www.deccanherald.com/national/coronavirus-centre-asks-states-to-arrangefood-shelter-for-migrant-workers-817995.html.

33. Press Trust of India(d). "Take action for redressal of migrant labourer's grievances during lockdown : Health Secretory to states". Deccan Herald. April 1, 2020. Accessed June 6, 2020. https://www.deccanherald.com/national/take-actions-for-redressal-of-migrantlaburers-grievances-during-lockdown-health-secretary-to-states-820164.html.

34. Government of NCT of Delhi. "Order F.No.15 (46)/CFS/Dist/2020/PMGKAY/1198-1211". Department of Food & Supplies. April 23, 2020. Accessed June13, 2020. https://www.fs.delhigovt.nic.in/wps/wcm/connect/93ae09004e1e821380cfe3d194e333e1/Allocation+and+Distribution+of+free+Ration+230420.pdf?MOD=AJPERES&Imod=-2118130335.

35. Kuruvilla, Anu (2020) "1st Mobile Covid Screening unit begins Operation among Migrant Labourers". *The New Indian Express,* April 3, 2020. Accessed June 13, 2020. https://www.newindianexpress.com/cities/kochi/2020/apr/03/1st-mobile-covid-screening-unit-begins-operation-among-migrant-labourers-2125005.html.

36. Goel, Ayush (2020) "Posh Restaurants in Gurugram Turn into Emergency Kitchens", *The Week,* April 4, 2020. Accessed June 13, 2020. https://www.theweek.in/news/india/2020/04/poshrestaurants-in-gurugram-turn-into-emergency-kitchens.html.

37. Bhagat, R.B.; Reshmi R.S.; Sahoo, Harihar; Roy, Archana K.; Govil, Dipti (2020) *"The COVID-19, Migration and Livelihood in India"*, International Institute for Population Science, Mumbai, 16-17, Accessed June 3, 2020, https://iipsindia.ac.in/sites/default/files/iips_covid19_mlli.pdf,

38. Bhagat, R.B.; Reshmi R.S.; Sahoo, Harihar; Roy, Archana K.; Govil, Dipti (2020) *"The COVID-19, Migration and Livelihood in India"*, International Institute for Population Science, Mumbai, 16-17, Accessed June 3, 2020, https://iipsindia.ac.in/sites/default/files/iips_covid19_mlli.pdf,

39. Express News Service. 'Aawaz', Insurance Scheme Rolled out for Migrant Labourers". The New Indian Express. November 2, 2020. Accessed June 14, 2020. https://www.newindianexpress.com/states/kerala/2017/nov/02/aawaz-insurance-scheme-rolled-out-for-migrant-labourers-1689627.html., Staff Reporter. "Awaz Card for over 1 lakh Migrant Workers in District". March 6, 2020. Accessed June 14, 2020. https://www.thehindu.com/news/cities/Kochi/awaz-cards-for-over-1-lakh-migrant-workers-in-district/article30994684.ece.

40. A Policy Brief, "The COVID-19, Migration and Livelihood in India : Challenges and Strategies", (2020) ; 4, Aceesed June 5, 2020, https://iipsindia.ac.in/sites/default/files/iips_covid19_mlli_PB.Pdf

41. पाण्डेय, नीरज कुमार (2020) लॉकडाउन में घर लौटे मजदूरों को रोजगार देने के लिए मोदी सरकार ने बनाया 'मेगा प्लान', 6 राज्यों के 116 जिलों की पहचान कीष ABP न्यूज़, जून 8, 2020, Aceesed June 8, 2020, 8, 2020. https://www.abplive.com/news/india/modi-government-mega-plan-to-provide-employment-to-migrant-laborers-who-lost-job-in-lockdown-ann-142381.

42. A Policy Brief, "The COVID-19, Migration and Livelihood in India : Challenges and Strategies", (2020) ; 4, Aceesed June 5, 2020, https://iipsindia.ac.in/sites/default/files/iips_covid19_mlli_PB.Pdf

43. Sahas, Jan (2020) "*Voices of the Invisible Citizens : A Rapid Assessment on the Impact of COVID-19 Lockdown on Internal Migrant Workers*", (April 2020): 2, Accessed June 5, 2020. https://azimpremjiuniversity.edu.in/SitePages/pdf/Voices_of_the_invisible_citizens_jan.

44. Bala, Anju (2017) "Migration in india : Causes and consequences", *International Journal of Advanced Educational Research* 2, no.4 (2017) : 56, https://www.educationjournal.org/download/167/2-4-63-793.pdf, Accessed on 10/10/2020.

——==00==——